रूपेश अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश अग्रवाल,
निवासी- गीता कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर

.......पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

बनाम

1. मुन्नी बाई पुत्री श्री तुलुआ पत्नी माधौसिंह, निवासी- अहीपुरा
2. राजाराम पुत्र तुलुआ, निवासी- पुरानी छावनी
3. बसंती बाई पुत्री तुलुआ पत्नी रमेश, निवासी- पारसेन
4. बैंजो पुत्री तुलुआ, पत्नी हरीनिवास, निवासी- जौरा
5. अजुद्धी बाई पुत्री तुलुआ, फौत वारिस सुखी पत्नी जगन, निवासी- महलगांव, तहसील व जिला ग्वालियर म.प्र.

....प्रत्यर्थीगण/अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 वास्ते आदेश दिनांक 26.12.2013 का पुर्नअवलोकन किये जाने बाबत्

सम्मानीय न्यायालय,

पुर्नअवलोकनकर्ता की ओर से आवेदन पत्र सादर निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, वर्तमान रिवीजन याचिका पुर्नरीक्षणकर्ता द्वारा आदेश दिनांक 26.12.2012 के विरूद्ध श्रीमान आयुक्त महोदय ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक

567/2011-12/अपील में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त प्रकरण में उभय पक्ष द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.12.2013 राजीनामा आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 26.12.2013 से निराकृत कर इस आधार पर निरस्त कर दिया गया है, कि अनावेदक कंमाक-2 प्रकरण में औपचारिक पक्षकार नही है, और राजीनामा विलेख में राजीनामा के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त करने की मॉग की गई है, जो राजीनामे के आधार पर निरस्त नही किये जाकर गुण दोषो के आधार पर सुनवाई हेतु विचारणीय है, और उपरोक्त विश्लेषण के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत राजीनामा माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 26.12.2013 से निरस्त कर दिया गया है। उक्त आदेश को पुर्नविलोकन किये जाने हेतु वर्तमान पुर्नविलोकन आवेदन पत्र निम्न आधारो पर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है -

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1712–पीबीआर/2014 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.3.16	आवेदक अधिवक्ता द्वारा रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 174–पीबीआर/2013 में पारित आदेश दिनांक 26–12–2013 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । अध्यक्ष	